1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Fees paid

पर्ची 1230 (बी) / रा० म० ... दिये गये मूल्य से कम नहीं पाया :

बिक्री-केवाला
===========

विक्रेता :- श्री दिलीप कुमार, पिता-श्री राज कुमार साव, जाति-तेली, पेशा-व्यापार, निवासी मुहल्ला-गाड़ीखाना, पत्रालय एवं थाना-चाईबासा सदर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, राष्ट्रीयता-भारतीय नागरिक ।

क्रेता :- श्रीमती रीता दास, पति-श्री अनिल कुमार दास, जाति-ताँती, पेशा-गृहस्थी, निवासी मुहल्ला-गाड़ीखाना, पत्रालय एवं थाना-चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, राष्ट्रीयता-भारतीय नागरिक ।

लेख्य प्रकार :- कायमी हक के आंशिक गोड़ा जमीन 0-0-17 धूर = 0.02½ डिसमिल का बिक्री-केवाला ।

मूल्य :- 10,000/- (दस हजार) रूपैया मात्र ।

लगान :- 0.20 नये पैसे मात्र सालियाना मालगुजारी अंचलाधिकारी सदर चाईबासा को मिले ।

शेष 2 पर...........

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.   Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये   ONE HUNDRED RUPEES

तफसिल जमीन :- जिला एवं जिला निबंधन सिंहभूम पश्चिमी, सदर एवं अवर निबंधन कार्यालय-चाईबासा, शहर एवं थाना - चाईबासा सदर, मौजा-डिलियामार्चा,चाईबासा नगरपालिका वार्ड नं0-1 (एक), के अन्तर्गत पुराना खाता नं0-197 (एक सौ संतानब्बे)/ नया खाता नं0-13 (तेरह), पुराना प्लोट नं0-2996, 2997 एवं 2998/नया प्लोट नं0-648 अंश (छः सौ अड़ताल्लीस का अंश), गोड़ा किस्म के जमीन, रकवा 0-0-17 धूर = 0.02$\frac{1}{5}$ डिसमिल का बिक्री-केवाला ।उक्त जमीन का नक्शा इस प्रलेख के साथ संलग्न है ।

चौहद्दी :- उत्तर :- श्रीकान्त सिंह, दक्षिण :- प्रस्तावित 10 फुट चौड़ा रास्ता,

पूरब एवं पश्चिम :- वही प्लोट का बाकी अंश ।

ऊपर लिखा जमीन नया खतियान के सर्वे सेटलमेंट में कमल लोचन मोदक तथा उसके भाई के नाम से पैमाईसी फिर उनसे कृष्णाधारी सिंह ने लेकर सन् 1980-81 को अपना नाम से अंचल कार्यालय में नामान्तरण मुकदमा सं0-13 द्वारा अपना नाम से लगान आदि देके दखल करते थें फिर उन्होंने याने कृष्णधारी सिंह अपने रूपैया के जरूरत पर दि0 28.9.91 को बिक्री-केवाला सं0-2812 द्वारा सरकिल देवी पति-नन्द किशोर प्रसाद को बिक्री कर दिया तथा पुनः उक्त सरकिल देवी को रूपैया के जरूरत पर दिनांक

शेष 3 पर..........

100 Rs.

-: 3 :-

7.4.95 को बिक्री-केवाला सं0- 586 द्वारा उक्त खाता प्लोट के चौहद्दी :- उत्तर - श्रीकान्त प्रसाद, दक्षिण - सुखदेव मिस्त्री, पूरब- नीज, पश्चिम- पोद्दार जी का जमीन का हवाला देकर वर्तमान विक्रेता 0-2-0 (दो कट्ठा) याने 0.05 एकड़, पाँच डिसमिल जमीन खरीद कर बराबर भोग दखलीकार हूं। तथा दिनांक 29.4.97 के आदेश अनुसार अंचल अधिकारी, सदर घाईबासा के कार्यालय से दाखिल-खारिज मुकदमा सं0- 25 (एम0)/97-98 के जरिए अपने नाम से नामान्तरित भी करवा लिये हैं तथा बराबर लगान आदि अदाय देते आ रहे हैं।

चूंकि काम जरूरी के वास्ते रूपैया के जरूरत होने से ऊपर तफसिल के लिखा हुआ जमीन बिक्री करने का ईच्छा प्रकट करने से आप क्रेता सर्वोच्य एवं उचित मूल्य पर उपर तफसिल लिखा जमीन खरीद करने के लिए सहमत होने से आज के रोज उपर तफसिल लिखा 0-0-17 धूर जमीन साथ में संलग्न नक्शा को अंश बनाकर आज के रोज आपक्रेता को कुल 10,000/- (दस हजार) रूपैया में बिक्री कर दिया तथा मूल्य की सम्पूर्ण रूपैया चुक्ता पाकर तफसिल लिखा जमीन आपके हक दखल में छोड़ देके हम मय वारिसान सदा के लिए अधिकार वंचित हुआ। जो कि हर हालत में ऋणभार से मुक्त है। शेष 4 पर.....

-: 4 :-

मैं यह घोषित करता हूं कि तफसिल के लिखा हुआ जमीन को क्रेता आज के रोज से जैसे खुशी अपना खुशी के मुताविक परम सुख से निर्विरोध और शान्तिपूर्वक ढंग से भोग दखल करने सकेंगे और बराबर अंचल कार्यालय में लगान आदि अदाय देकर चेक रसीद लेते रहेंगे और भविष्य में अपने नाम से नामान्तरण भी करवा लेंगे इसके वारे में आईन्दे हम चाहे हमारा कोई भी वारिसान किसी तौर के वजूर आपत्ति या दावा-दावी करने से विल्कूल नाजायज वो नामंजुर समझा जायेगा ।

हम यह भी घोषित करते हैं कि तफसिल लिखा जमीन को आज के पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास बिक्री, बंधक, दान, एकरारनामा, उईलनामा, वसियतनामा आदि के जरिए हस्तान्तरित नहीं किया है फिर भी यदि विपरीत सिद्ध होवे तो कीमत का समुचा रूपैया मैं क्रेता को वापस करने के लिए बाध्य रहूंगा ।

शेष 5 पर.....

-: 5 :-

वास्ते हम अपने राजी खुशी से मन और शारीरिक स्वस्थ्यता के हालत में रहकर बिना किसी जोर या दबाव के समझ बुझकर आज के रोज यह दलील का हाल पुरा तौर से वाकिफ होकर नाम गवाहनों के सामने यह बिक्री-केवाला निबंधित कर सम्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे । फकत् तारीख 2 री माह मई सन् 1997 ईसवीं।

नाम गवाहन और साकिन :-
===================

1. राज कुमार लाल पिता शीतल राम साकिन चाईबासा

2. सतीश कुमार पिता राज कुमार साकिन

3. राम चरण तांती

मैंने टंकित किया,

2.5.97

§अनुप कुमार मुखर्जी§

विक्रेता को यह दलील पढ़कर सुना और समझा दिया ।

§भवतोष राय§,
अधिवक्ता मोहरीर,
चाईबासा ।

21/10/2016